रजि॰ सं॰ डी॰ (डी)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 295] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 1980/ आश्विन 3, 1902
No. 295] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 1980/ASVINA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1980

सा॰का॰नि॰ 549(अ),—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (पांचवा संशोधन) नियम, 1980 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में—

(1) नियम 2 में, "सन्देशवाहक सेवा" पद की परिभाषा से सम्बन्धित खण्ड (खख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(खखक) प्रभारी तत्काल सेवा से ऐसे दो स्थानों के बीच स्थापित हस्तचालित ट्रंक टेलीफोन सेवा अभिप्रेत है जहां प्रभार काल करने वाले अभिदाता के टेलीफोन मीटर पर स्वत अंकित हो जाती है जिसके अन्तर्गत ट्रंक काल टिकट तैयार करना नहीं है ।"

(2) नियम 451 में—

(क) खण्ड (क) के नीचे की सारणी को उसकी सारणी 2 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित सारणी 1 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी 2

प्रभारी तत्काल सेवा

किन्हीं दो तारघरों या किन्हीं दो लम्बी दूरी के प्रभारी केन्द्रों के बीच की रेडियल दूरी	बुलाए गए अभिदाता के उत्तर देने पर प्रथम स्पन्द होने के पश्चात् स्पन्दों की अधिकतम संख्या सेकेण्डों में दिन के समय खण्ड (ग) में उल्लिखित रियायती समय अवधियां	
20 कि॰मी॰ तक	36	36
20 कि॰मी॰ से अधिक 50 कि॰मी॰ तक	18	18
50 कि॰मी॰ से अधिक 100 कि॰मी॰ तक	8	12
100 कि॰मी॰ से अधिक 200 कि॰मी॰ तक	6	8
200 कि॰मी॰ से अधिक 500 कि॰मी॰ तक	4	6
500 कि॰मी॰ से अधिक 1000 कि॰मी॰ तक	3	4
1000 कि॰मी॰ से अधिक	2	3

(ख) खण्ड (ख) में सारणी के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : सारणी 1 के प्रथम स्तंभ में और खण्ड (क) की सारणी 2 की सभी स्तंभों में आने वाले तार केन्द्रों के बीच हस्तचालित ट्रंक कालों पर विशिष्ट व्यक्तियों, नियत समय और नियत अभिदाय वाले नियत समय-कालों की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।"

[सं॰ 3/41/80/आर]

एस॰ के॰ घोष, महानिदेशक
डाक तार और सचिव (संचार)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 10th September, 1980

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Fifth amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force immediately.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951,—

(1) in rule 2, after clause (bb) relating to the definition of the expression "Messenger Service", the following clause shall be inserted namely :—

"(bba) metered demand service means "Manual Trunk telephone service" established between stations where the charging is effected automatically on the calling subscribers telephone meter not involving preparation of trunk call tickets."

(2) in rule 451—

(a) The table below Section (a) shall be numbered as Table-I thereof and after Table-I as so numbered the following Table shall be inserted, namely:—

Table-II

Metered Demand Servi

Radial distance between any two exchanges or between any two long distance charging centres.	Peri secon rance called	
	During day	During periods Section((
Upto 20 Kms.	36	
Exceeding 20 Kms. upto 50 Kms.	18	
Exceeding 50 Kms. upto 100 Kms.	8	
Exceeding 100 Kms. upto 200 Kms.	6	
Exceeding 200 Kms. upto 500 Kms.	4	
Exceeding 500 Kms. upto 1000 Kms.	3	4
Exceeding 1000 Kms.	2	3

(b) in section (d) after the table, the following Note inserted, namely:—

"Note : Particular person, Fixed time and Subs Fixed time call facilities shall not be avail trunk calls manually established between ex following in the first slab of Table I and all s Table II in Section (a)".

[No. 3/41/

S. K. GHOSE, Director Ge
P & T. and Secretary (Communicati

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980